संख्या– 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021

प्रेषक

दीपन्द्र कुमार चौधरी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

आवश्यक | महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग– 4 देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2021

विषय– 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारियों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–869/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, दिनांक 12.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के प्रथम चरण में जारी किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/1911/2021–22 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तवत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावित बच्चों की परिस्थितियों के आधार पर एवं उनके चिह्नीकरण के उपरान्त उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. सम्बन्धित प्रभावित पाल्यों को उनके घर के निकट के ही राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में ही प्रवेश की निश्चित व्यवस्था की जायेगी।
2. शासकीय व अशासकीय स्नातक/परास्नातक महाविद्यालयों में वात्सल्य योजना के अर्न्तगत मृतकों के पाल्यों को स्नातक/परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सभी सत्रों हेतु महाविद्यालयी प्रवेश में सभी छात्र निधियों से शुल्क मुक्त किया जाएगा तथा मात्र कोषागार प्रवेश शुल्क (जो अधिकतम 03 से 05 रुपये है) ही लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय छात्र निधि (निर्धन छात्र सहायता मद/विकास मद अथवा अन्य छात्र निधियों) से ही लोन लेकर अथवा अन्य क्षेत्रों से सहायता लेकर प्रत्येक पाल्य को प्रति सत्र (स्नातक/परास्नातक) में 01 सेट College Uniform दी जायेगी।
4. राजकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रभावित पाल्यों को प्रवेश में एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं खेल प्रमाण पत्रों की भाँति वरीयता (अधिमान अंक की व्यवस्था) प्रवेश दिया जायेगा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पृथक से ऐसे प्रभावित पाल्यों के प्रवेश हेतु सीट सुरक्षित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

5. महाविद्यालय में यह व्यवस्था की जायेगी कि प्रभावित पाल्य हेतु प्रत्येक विषय में महाविद्यालय पुस्तकालय से 02 पुस्तकें सुनिश्चित रुप से प्रत्येक सत्र हेतु निर्गत की जायेगी तथा सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व ही पुस्तकें महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
6. प्रभावित पाल्यों हेतु महाविद्यालय के छात्रावास में अध्ययन काल (स्नातक/परास्नातक) तक निशुल्क व्यवस्था (रहने व खाने की) की जायेगी।
7. प्रत्येक प्रभावित पाल्य को 01 TAB (अधिकतम रु010000/–) का कम्प्यूटर क्रय व कम्प्यूटर उपकरण मद में बजट प्रावधान किया जायेगा। (पूरे शिक्षण काल में मात्र 01 TAB दिया जा सकता है)।
8. कक्षाओं में पठन–पाठन हेतु प्रत्येक कार्य दिवसों में घर से महाविद्यालय तक सरकारी परिवहन में किराए की पूर्ण छूट दी जायेगी, जिस हेतु महाविद्यालय द्वारा परिवहन विभाग से सम्पर्क कर पास की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग को इस हेतु निर्देशित किया जायेगा।
9. ऐसे पाल्यों हेतु विशेष सहायता अनुदान राशि प्रतिवर्ष आवेदन के आधार पर प्रदान की जायेगी। इस हेतु विभागीय बजट प्रावधान किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश संख्या–143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उक्तवत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपन्द्र कुमार चौधरी)
प्रभारी सचिव।

संख्या– (1)/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, महिला सशक्तीकण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 2 एवं 3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

पृ0 सं0: 1941 डिग्री प्लान/ 2021–2022 तददिनांकित दि. 13/8/2021
प्रतिलिपि:

1 प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

(डा0 पी0 के0 पाठक)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned with CamScanner